GCMS NO:- 2020/00 3047

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/10/20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अभियोजन अधिकारी उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताते हुए जमानत एवं सुपुर्दगी पर, न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन संख्या RJ09 GA 4407 धारा 407 को, वाहन स्वामी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा धारा 407 के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश किए लेकिन वाहन को रिलीज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन प्रार्थी का ही है तथा थानाधिकारी, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ ने भी जब्तशुदा वाहन सं. RJ09 GA 4407 धारा 407 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि जब्तशुदा वाहन सं. RJ09 GA 4407 धारा 407 वाहन का स्वामित्व प्रार्थी का है एवं थानाधिकारी, थाना कोतवाली ने भी अपने कमेन्ट्स में जब्तशुदा वाहन सं. RJ09 GA 4407 धारा 407 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः जब्तशुदा	

(के.के. शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

.....लगातार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाहन संख्या RJ09 GA 4407 टाटा 407 को 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रुपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिये जाते हैं (के.के. शर्मा) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official